रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19032021-226001
CG-MH-E-19032021-226001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942
No. 104] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 9 मार्च, 2021

सं.एफएमआरडी.डीआईआरडी.**2/14.03.043/2020-21.—**योग्य वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (सन 2020 का 30) की धारा 4 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित संविदाओं को योग्य वित्तीय संविदाओं के रूप में अधिसूचित करता है, यथा:-

क) "डेरिवेटिव" जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (सन 1934 का 2) की धारा 45यू के खंड (क) में परिभाषित है; और

ख) "रेपो" और "रिवर्स रेपो" जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (सन 1934 का 2) की धारा 45यू के खंड (ग) और (घ) में क्रमशः परिभाषित है।

(2) इसके अलावा योग्य वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (सन 2020 का 30) की धारा 2(1) के खंड (ओ) के उप-खंड (vi) के साथ पठित धारा 4 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा योग्य वित्तीय संविदाओं का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को निर्दिष्ट करता है, यथा:-

क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कारोबार करने हेतु लाइसेन्सकृत प्रतिष्ठान, लेकिन जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (सन 1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं;

ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के तहत स्थापित 'भारतीय निर्यात आयात बैंक';

ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, **1981 (1981** का 61) के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक';

घ) लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, **1981** (सन 1989 का 39) के तहत स्थापित 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक';

ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, **1987** (सन 1987 का 53) के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय आवास बैंक';

च) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, **2011** (सन 2012 का 12) की धारा 2(**i**) के तहत परिभाषित 'फैक्टर'; और

छ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति इन्टरेस्ट अधिनियम 2002 (सन 2002 का 54) की धारा 2(1)(बीए) में यथा परिभाषित 'आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी'।

[फा. सं. III/4/असा./534/2020-21]

डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th March, 2021

No. FMRD.DIRD. 2/14.03.043/2020-21.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 4 of the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 (30 of 2020), the Reserve Bank of India hereby notifies the following contracts as Qualified Financial Contract, namely: -

a. "derivative" as defined under clause (a) of Section 45U of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and

b. "repo" and "reverse repo" as defined under clause (c) and (d) respectively of Section 45U of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(2) Further, in exercise of the powers conferred by clause (b) of section 4 read with sub-clause (vi) of clause (o) of section 2 (1) of the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 (30 of 2020), the Reserve Bank of India hereby specifies the following entities as qualified financial market participants to deal in qualified financial contracts, namely: -

a. Entities licensed by RBI to do banking business, but not included in the second schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

b. "Export-Import Bank of India" established under the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);

c. "National Bank for Agriculture and Rural Development" established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981);

d. "Small Industries Development Bank of India" established the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

e. "National Housing Bank" established under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);

f. "Factor" as defined in Section 2 (i) of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012); and

g. “Asset Reconstruction Company” as defined under section 2 (1) (ba) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002).

[F. No. ADVT. III/4/Exty./534/2020-21]

DIMPLE BHANDIA, Chief General Manager

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.19 11:08:44 +05'30'